

25.02.17

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव ।

प्रस्तुत परिवाद पंजीयन आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत परिवाद के माध्यम से परिवादी द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तगण 01 लगायत 05 के विरुद्ध धारा 294, 323, 374, 452, 506बी भा0द0वि0 के अधीन दांडिक अपराध का संज्ञान लिए जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें घटना दिनांक 08.05.2015 को प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री पिकी के साथ मारपीट करने, अलमारी से व्यापार के दो लाख रुपए नगद व 10 तौले सोने के जेवरात व चांदी के जेवरात लगभग 01 किलो 400 ग्राम चुरा लिए जाने तथा धमकी दिए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत आधार पर थाना गोहद चौराहे में लिखित शिकायत की गई एवं पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टार डाक से सूचना दी

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties Pledgers in case
	<p>गई थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। द0प्र0सं0 की धारा 200-202 के अधीन जांच कथन अंकित किए गए। साथ ही थाना गोंहद चौराहे से प्रस्तुत परिवाद के संबंध में कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका प्रतिवेदन चाहा गया।</p> <p>थाना गोंहद चौराहे की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन में कोई कार्यवाही किए जाने के संबंध में लेख नहीं किया गया, किंतु परिवादी व उसके परिवारजन के विरुद्ध प्रस्तावित अभियुक्तगण की रिपोर्ट से धारा 498ए, 323, 506बी-34 भा0द0वि0 का अपराध उक्त कथित दिनांक 08.05.2015 को थाना माधवगंज जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक <u>210/15</u> के रूप में पंजीबद्ध होने के संबंध में तथ्य लेख किये गए हैं।</p> <p>परिवादी अधिवक्ता को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत परिवाद एवं जांच कथनों में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रस्तावित अभियुक्त क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा अभिकथित रूप से परिवादी के घर से कौन से जेवरात व कितनी नगदी चोरी की गई। स्वतंत्र साक्षी के रूप में प्रस्तुत गयादीन व राजू द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तगण के परिवादी के घर से निकलने पर कोई सामान ले जाने के लिए कोई बैग आदि होना उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तुत परिवाद एवं जांच कथनों के आधार पर साथ ही पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तगण क्रमांक 01 लगायत 04 के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323 का अपराध कारित किए जाने के संबंध में तथ्य प्रथम दृष्टया परिलक्षित होते हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323 के अपराध का संज्ञान लिए जाने का आदेश किया जाता है।</p> <p>अभियुक्त क्रमांक 01 लगायत 04 के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किए जाने से दांडिक पंजी में प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए साथ ही सी0आई0एस0 पर प्रविष्टि कराई जाए।</p> <p>तलवाना प्रस्तुत होने पर अभियुक्त क्रमांक 01 लगायत 04 को जारी समन आहूत किया जाए।</p> <p>प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 31.03.2017 को पेश हो।</p>	<p>31.3.17</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>माधवगंज जिला ग्वालियर</p> <p><i>[Signature]</i></p>